"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जून 2009—आषाढ़ 4, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2009/764.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 6 के उपनियम (7) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (ग्यारह) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तेरह माह" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर अग्रवाल, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2009

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2009/765.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर अग्रवाल, विशेष सचिव.

Raipur, the 25th June 2009

NOTIFICATION

No./764/P/PGVV/22/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby the makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2007, namely :—

AMENDMENTS

In the said rule :—

In sub-clause (xi) of clause (g) of sub-rule (7) of rule 6, for the words "One year" the words "Thirteen Months" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUDHIR AGRAWAL, Special, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.